

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ५५



-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सदानदास पुत्र चिमनदास व भूअ.नि. सदानदास पुत्र चिमनदास की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ५५ / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लोहना छोटा तहसील ५५ व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् २०२१-२०२५ में खाता संख्या ९२ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	लोहना छोटा	92	सदानदास पुत्र चिमनदास हिस्सा 1/2 पारि स्वामी निवासी लोहना छोटा खोटेवा	सदानदास पुत्र चिमनदास हिस्सा 1/2 पारि स्वामी निवासी लोहना छोटा खोटेवा

14/10/21
पीठासीन अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 110/2021

दिनांक :- 14.10.2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ५५ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सदानदास पुत्र चिमनदास को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। स्वामी निवासी लोहना छोटा

नॉटिफिकेशन १९०
14.10.2021

14/10/21
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)